कानून की जानकारी आँखिर क्यों ?

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

विधिक साक्षरता – कानून की जानकारी

जीवन में कुछ चीजों की मौजूदगी हम खुद–ब–खुद मानकर चलते है और कानून उनमें से एक है। प्रातः बिस्तर छोड़ने से लेकर रात्रि शयन से पूर्व जाने–आनजाने हमें कई कानूनों एवं नियमों का सामना करना पडता है। जैसे कि संविदा विधि, उपभोक्ता कानून, बैक सम्बन्धी विधि, यातायात के नियम एवं कानून, रोजगार, किराया, श्रमिक व सम्पत्ति सम्बन्धी कानून आदि।

कानून साधारण भाषा में वह नियम है जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु लिपिबद्ध किये गये है। जीवन में जटिलतायें बढ़ रही है और कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस बाबत् कानून नहीं बनाया गया हो। भारत वर्ष में विविध विषयों पर अधिनियम, नियम और विनियमों की भरमार है तथा कानून बनाने की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है।

माना जाता है कि हर नागरिक को कानून की जानकारी है, परन्तु सत्य यह है कि कानून बहुत व्यापक है और उसे समझना कठिन है और उसकी भाषा जटिल है। बी0ए0 करने के बाद व्यक्ति जब कानून की डिग्री हेतु आवेदन करता है तभी उसे कानून के बाबत् जानकारी रखने का प्रथम अवसर मिलता है स्थिति यह है कि कानून बनाने के पीछे मन इच्छा जन–उत्थान की होती है परन्तु जिस समाज या विषय पर कानून बनाया जाता है उसकी जानकारी उस वर्ग को नहीं हो पाती है जिनको लाभान्वित करने व जिनके हित के लिए कानून बनाया जाता है। ऐसे मे कानून बनाना व्यर्थ हो जाता है और कानून केवल कागजी शेर बन कर रह जाते है। उदहारण हेतु बच्चों के संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण व कैदियों के संरक्षण तथा समाज के पिछड़े व पीडित वर्ग विषेष के संरक्षण हेतु बने इन कानूनों का उक्त वर्ग विषेष को भी ज्ञान नहीं है कहा जाता है कि भारत में कानून का राज है परन्तु कानून की जानकारी अधिकांष लोगो को न हो पाने के कारण कानून के राज की धारणा मात्र कोरी कल्पना बनकर रह जाती है। हमारे देष मे संसद और राज्य विधान मण्डल सैकडों कानून बनाते है, परन्तु सत्य है कि वकील और जज/मजिस्ट्रेट, जो कि रोज कानून से वास्ता रखते हैं भी इन ज्यादातर कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, परन्तु वे जानते है कि जरूरत पड़ने पर कानून को कहां देखा जाये। इसलिए कानून की सामान्य जानकारी रखना सभ्य समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए आवष्यक है।

विधिक सेवा योजना और कार्यक्रम–क्यों, कैसे एवम् किसके लिए ?

भारतीय संविधान में यह अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हो। इस हेतु सरकार विभिन्न कानून बनाती आ रही है। अपेक्षित लाभ न मिलने पर और संविधान की मन–इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक कमजोरी या असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित ना रहे। इस अनुच्छेद द्वारा यह भी निर्देषित किया गया है कि उपयुक्त विधान या योजना द्वारा सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु निःषुल्क विधिक

सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। अर्थात राज्य का दायित्व है कि वह सुनिष्चित करें कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सर्वजन् को सुलभ होवें।

इसी उद्देष्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का कानून बनाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा असहाय व निर्बल वर्गो को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विधिक सेवा के जन–उपयोगी कार्यक्रम को सफल व प्रभावषाली बनाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा), उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति गठित किए गये हैं। इन जनहितकारी सरकारी संस्थाओं का एक मात्र जनहित उद्देष्य है "न्याय सबके लिए"। ये संस्थायें उस प्राचीन परम्परा के निर्वाहन के लिये सृजित की गयी हैं जिसमें कहा गया है।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामय,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
माँ कष्विद् दुख भागभवेत।"

नैसर्गिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को अपने पक्ष को रखने का युक्तिसंगत व पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। यह तभी प्रभावी हो सकता है जब पक्षकार ऐसा करने मे पूर्ण रूप से समर्थ होवे। अर्थात उसकी कोई निर्योग्ता उसे न्याय प्राप्ति से वंचित न कर सके।

न्याय का दूसरा सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि विधि की अनभिज्ञता की दलील न्यायालय के समक्ष ग्राहय नही है। परन्तु, क्या हर काई व्यक्ति विभिन्न प्रचलित विधियों की जानकारी रखता है– उत्तर स्पष्ट है नहीं। अन्यथा भी यह अपेक्षा नही की जा सकती है कि हर व्यक्ति को उस कानून की जानकारी हो, जिसकी उसे दिन–प्रतिदिन के व्यवहार में आवष्यकता होती है।

तीसरा विधि का महत्तपूर्ण सिद्धान्त है न्याय में विलम्ब अन्याय के समान है। न्याय प्राप्ति में विलम्ब को वर्तमान परिपेक्ष्य मे न्याय प्राप्ति के पक्ष मे सबसे बड़ी बाधा माना जाता है पक्षकार यदि जागरूक है और उसे अपने हित व अधिकारों का ज्ञान भी है तो निःसन्देह वह न्याय प्राप्ति की लड़ाई अविलम्ब जीत सकता है।

उपरोक्त तीन सिद्धान्त यह व्यक्त करते है कि हर व्यक्ति का कानून के प्रति जागरूक होना आवष्यक है, अन्यथा न्याय प्राप्ति की लड़ाई कठिन होगी।

सभ्य समाज में यदि कोई नागरिक अपनी आर्थिक व सामाजिक असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंछित रह जाये तो यह समाज के लिए कलंक है परन्तु कानून की जानकारी का अभाव और न्याय प्राप्ति में विलम्ब एक कटु सत्य है और न्यायिक सुधार विषय का एक अहम बिन्दु है। पिछले कुछ वर्षो से अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों का आकंड़ा पार कर गई है। इसके निदान हेतु वर्तमान में न्याय प्रदान करने का कार्य अर्ह न्यायिक संस्थाओं को देने की पहल ने जोर पकड़ लिया है। सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय की मांग भी जोर पकड़ रही है। अग्रेजो की बनायी प्रक्रियात्मक विधि से विलम्ब होना स्वाभाविक मानते हुये पहल उठी है कि विधितः मान्य लोक अदालत, मध्यस्थता एवं सुलह–समझौता आदि के माध्यम से अविलम्ब, सस्ता व सरलता से न्याय प्राप्ति का मार्ग प्रषस्त हो और जनसामान्य न्याय की इस वैकल्पिक व्यवस्था का लाभ उठा सकें। इस हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विधिक साक्षरता षिविर आयोजित कर, जनसामान्य में जागरूकता लायी जा रही है,

ताकि न्याय तंत्र का उपयोग केवल धनी और सषक्त व्यक्ति तक सीमित न रहे और न्याय व्यवस्था आम आदमी को भी सुलभ हो यही विधिक सेवा प्राधिकरण का ध्येय एवं संकल्प है।

अधिवक्ता न्याय दिलाने का महत्तपूर्ण माध्यम है अतैव जन–जन तक कानून का ज्ञान पहुंचाने में अधिवक्ता की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शासन की कल्याणकारी योजनाओं एवं कानून की जानकारी के प्रचार–प्रसार का सक्रिय सहयोग आवष्यक है। अतैव विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्तागण, समाज सेवक, मिडिया तथा शासन–प्रषासन आदि की सहभागिता से सर्वजन् को न्याय सरल, सुलभ और त्वरित दिलाये जाने हेतु प्रयासरत् है। न्याय सबके लिए ध्येय प्राप्ति हेतु गठित सरकारी संस्थाओं की कार्यविधि और उनके संचालन का विवरण निम्नवत् है :–

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि एक केन्द्रीय संस्था है, के मुख्य संरक्षक, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम् न्यायालय व कार्यपालक अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्चतम् न्यायालय होते है। यह संस्था सम्पूर्ण भारत वर्ष में विधिक सहायता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है, मार्गदर्षन करती है और इन कार्यक्रमों हेतु धन उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय 12/11 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियत्रणाधीन सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्थापित की गयी है। जिसके अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तथा सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा का अधिकारी होता है। उक्त समिति केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओ सम्बन्धी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान करती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कार्यालय 109, लॉयर्स चैम्बर्स, पोस्ट ऑफिस विंग, सर्वोच्च न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में स्थित है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण का इतिहास :– राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मा0 मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय होते है एवं कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यवाहक मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं तथा उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। मा0 मुख्य संरक्षक के कुषल दिषा–निर्देष व मा0 कार्यपालक अध्यक्ष महोदय की छत्रछाया में राज्य प्राधिकरण विधिक सेवा के कार्यक्रमों को आयाम प्रदान करता है। विधिक सेवा कार्यक्रमों की सफलता हेतु जनसामान्य, शासन, प्रषासन आदि के अपेक्षित सहयोग से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों, कार्यक्रमों तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन उपरान्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन वर्ष 2002 में किया गया। उस समय उक्त कार्यालय नैनीताल उच्च न्यायालय स्थित था। तद्उपरान्त उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण जनपद नैनीताल से जनपद देहरादून किया

गया। जनपद देहरादून में उक्त कार्यालय का स्थानान्तरण समय–समय पर होता रहा तथा वर्ष 2008 को उक्त कार्यालय पुनः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थानान्तिरत किया गया।

राज्य प्राधिकरण के कतिपय मुख्य उद्देष्य एवं गतिविधियाँ

(क) पात्रतानुसार, पात्र व्यक्तियों को निःषुल्क विधिक सलाह/सहायता व निःषुल्क अधिवक्ता प्रदान कराना, ताकि जनसामान्य को सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय मिल सके।

(ख) लोक अदालतों का आयोजन करना जिसमें न्यायालय में दायर किये जाने से पूर्व के मामलों तथा न्यायालय में विचाराधीन मामलों का विधिसम्मत्, त्वरित एवम् सुलभ न्याय सुनिष्चित कराना।

(ग) जनसामान्य को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने हेतु विधिक ज्ञान का व्यापक प्रचार–प्रसार करने बाबत् निवारक एवं अनुकूलन विधिक साक्षरता कार्यक्रमों/षिविरों का संचालन करना।

(घ) सरल एवं सजग भाषा में लिपिबद्ध विधि सम्बन्धी पुसतकों/पम्पलैट्स इत्यादि का जनसामान्य को निःषुल्क वितरण करना, ताकि जनसामान्य अपने दैनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हो सकें।

(ङ) पारिवारिक विवादों को सुलह–समझौते के आधार पर निपटाने हेतु परामर्ष एवं सुलह–समझौता केन्द्रों की स्थापना करना।

(च) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिष्चित करना।

(छ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता सम्बन्धी षिकायतों को दर्ज कर उनका सर्वसम्बन्धित के माध्यम से उन्मूलन करना।

(ज) जनसामान्य की शासन–प्रषासन के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित प्राप्त षिकायतों को अग्रसारित कर समयबद्ध रूप से विधिसम्मत् समाधान कराना।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उच्च न्यायालय स्तर पर विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीष होते हैं तथा सचिव, उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकरी होता है। उक्त समिति, केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतिओं एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, उच्च न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कार्यालय माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में स्थित है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित है जिसके सचिव वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबन्धक महोदय हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन जिला न्यायालय स्तर पर प्रत्येक जनपदों मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जनपद के जनपद न्यायाधीष होते हैं तथा सचिव, सिविल जज (एस0डी0)/सी0जे0एम0 न्यायिक सेवा से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी होता है। उक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केन्द्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों एवं

कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, जिला न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय जिला न्यायालय परिसर में ही स्थित होता है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड के हर जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किये गये हैं।

तहसील विधिक सेवा समिति

राज्य प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है सम्बन्धित तहसील में तैनात ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और कनिष्ठतम अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करता है उक्त तहसील समितियां राज्य एवं जिला प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतिओं एवं कार्यक्रमों का प्रवर्तन करती है, तहसील न्यायालय के मामलों के लिए पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्ष प्रदान कराती है साथ ही लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करती है तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाहन करती है जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाते हैं। तहसील विधिक सेवा समिति का कार्यालय तहसील परिसर में ही स्थित होता है।

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड के अधिकतः तहसीलों में तहसील विधिक सेवा समिति गठित है और कार्य कर रही है।

निःषुल्क विधिक सेवा के लिए हक व पात्रता

प्रत्येक व्यक्ति, जिनसे सम्बन्धित कोई मामला न्यायालय में योजित करना है या योजित कर दिया गया है या किसी मामले मे बचाव करना है, अधिनियम/नियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति से, निःषुल्क विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसे व्यकित :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के षिकार व्यक्ति,
3. सभी महिलायें एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाष, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एंव भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किषोर गृह एंव मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. भूतपूर्व सैनिक,
9. ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपये से कम हो,

नोटः– क्रम संख्या– 1 से 8 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

जनसामान्य के हित में सृजित कुछ कानून

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
4. मता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा अधिनियम, 2009
7. मोटर वाहन अधिनियम, 1939
8. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न एवं छुआछूत निवारण) अधिनियम, 1989
10. दहेज प्रतिषोध अधिनियम, 1961
11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
12. बाल श्रम (प्रतिषोध और विनियमन) अधिनियम, 1986
13. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
14. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम–1882
15. भारतीय संविदा अधिनियम–1872
16. उत्तराधिकार अधिनियम–1956
17. भारतीय वन अधिनियम–1972
18. रैगिंग के विरूद्ध दिषा–निर्देष

जनहितार्थ प्रचलित कुछ सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाएं

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
2. दीनदयाल विकलांग पुर्नावास योजना।
3. अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाएं/कार्यक्रम
4. अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाएं/कार्यक्रम
5. पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनायें
6. विकलांगजनों के कल्याणार्थ संचालित कार्यक्रम
7. सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण के अन्तर्गत प्रमुख योजनायें
8. अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम
9. गौरादेवी कन्याधन योजना
10. इन्दिरा आवास योजना
11. अटल आवास योजना

नोटः– जनसामान्य से सम्बन्धित सरल भाषा में लिपिबद्ध "सरल कानूनी ज्ञान माला" पुस्तकें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निःषुल्क उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र

1. सदस्य–सचिव,
   उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल।
   कार्यालयः 05942–236762, 236552 फैक्स : 05942–236552
2. सचिव,
   उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
   कार्यालय : 05942–232085 फैक्स : 05942–237721
3. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा
   कार्यालय : 05962–231105
4. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेष्वर
   कार्यालय : 05963–221844
5. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली
   कार्यालय : 01372–251529
6. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत
   कार्यालय : 05965–230915
7. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
   कार्यालय : 0135–2520873
8. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार
   कार्यालय : 01334–239780
9. अध्यक्ष,
   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल
   कार्यालय : 05942–237159
10. अध्यक्ष,
    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल
    कार्यालय : 01368–221815
11. अध्यक्ष,
    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़
    कार्यालय : 05964–228322
12. अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रूद्रप्रयाग

कार्यालय : 01364–233796

13. अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल

कार्यालय : 01376–233424

14. अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधमसिंह नगर

कार्यालय : 05944–250682

15. अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाषी

कार्यालय : 01374–222711

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊॅगा/छुपाऊॅगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34	पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)

38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड़स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल